सप्तदश

बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि 24 फाल्गुन, 1943 (श०)
15 मार्च, 2022 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 07

(1) शिक्षा विभाग	.. ..	06
(2) समाज कल्याण विभाग	.. ..	01
	कुल योग --	07

दोषियों पर कार्रवाई

72. श्री कुमार सर्वजीत (क्षेत्र संख्या-229 बोधगया (अ0जा0))--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 22 जनवरी, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "गजब का प्रयोग लैब उपकरण खरीद में करोड़ों का घोटाला" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है बिहार राज्य के स्कूलों में प्रयोगशाला उपकरण की खरीद के लिये वर्ष 2017-18 में 3 से 10 लाख तक की राशि आवंटित की गयी थी, जिसमें गया जिला के 160 माध्यमिक और 81 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों सहित कुल 241 स्कूलों को राशि आवंटित की गई ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के स्कूलों एवं आपूर्तिकर्ताओं की मिली-भगत से लैब उपकरण की खरीदारी में भारी अनियमितता बरती गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सभी स्कूलों में प्रयोगशाला उपकरण में बरती गयी अनियमितता की जाँच कराते हुये दोषी स्कूल प्रशासन एवं आपूर्तिकर्ताओं पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया के प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वस्तुस्थिति यह है कि दैनिक समाचार-पत्र हिन्दुस्तान दिनांक 22 जनवरी, 2022 में प्रकाशित समाचार से प्राप्त शिकायतों की जाँच जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक 459, दिनांक 25 जनवरी, 2022 के द्वारा अपर समाहर्ता, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, गया को जाँच की कार्रवाई कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया है । तदालोक में विभागीय पत्रांक 463, दिनांक 9 मार्च, 2022 में दिनांक 31 मई, 2022 तक जाँच की कार्रवाई सम्पन्न करने का अनुरोध किया गया है ।

(3) इस खंड का उत्तर खंड (2) में सन्निहित है ।

प्रखंड साधन सेवियों को ई0 पी0 एफ0 आदि की सुविधा

73. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है प्रखंड साधन देवी माध्यमिक शिक्षा की नियुक्ति वर्ष 2011-12 में प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से 10 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय पर की गयी है, परंतु मानदेय के अतिरिक्त ई0एस0आई0, ई0पी0एफ0 इत्यादि का लाभ प्रखंड साधन सेवियों को नहीं मिल रहा है जबकि अन्य संविदा कर्मियों को ये सुविधाएँ मिल रही हैं ;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार ई0एस0आई0, ई0पी0एफ0 इत्यादि की सुविधा प्रखंड साधन सेवियों को भी देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर नियुक्ति

74. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 2 जनवरी, 2022 के अंक में छपी खबर के शीर्षक "13 विश्वविद्यालयों में कुल 12,893 पद शिक्षकों के लिये सृजित, इनमें सात हजार से अधिक पद खाली" के आलोक में क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के 13 विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के सृजित पदों में से लगभग सात हजार पद पिछले 10 वर्षों से रिक्त हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में 52 विषयों के 4,638 शिक्षकों के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया वर्ष 2020 में शुरू की गयी थी, लेकिन अभीतक नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त सभी पदों पर कबतक नियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विश्वविद्यालय में एन0पी0एस0 लागू करना

75. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय सहित राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय में नेशनल पेंशन स्कीम (एन0पी0एस0) लागू नहीं किया गया है जबकि राज्य में 1 सितम्बर, 2005 से ही एन0पी0एस0 लागू किया गया है, यदि हाँ, तो राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में इसे लागू नहीं करने का क्या औचित्य है ?

कम राशि का वितरण

76. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है वर्ष 2020-21 के सत्र में राज्य के एक लाख विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण देने के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 22,778 विद्यार्थियों को 592 करोड़ ऋण तथा सत्र 2021-22 में 75,000 विद्यार्थियों को ऋण देने के लक्ष्य के विरुद्ध अभीतक मात्र 28,456 विद्यार्थियों को 813 करोड़ शिक्षा ऋण स्वीकृत हुई एवं मात्र 26,532 विद्यार्थियों को 529 करोड़ ऋण वितरित किये गये हैं, यदि हाँ, तो लक्ष्य के विरुद्ध इतनी कम राशि के वितरण का क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये एक माँग आधारित योजना है । वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अन्तर्गत सांकेतिक लक्ष्य एक लाख के विरुद्ध जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर मात्र 41,994 आवेदन प्राप्त हुये, जिसके विभिन्न स्तर पर जाँचोपरान्त कुल 22,778 आवेदकों को 592 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई ।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में सांकेतिक लक्ष्य 75 हजार के विरुद्ध दिनांक 27 फरवरी, 2022 तक कुल 59,803 आवेदकों के आवेदन ऋण हेतु जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर प्राप्त हुये, जिनमें से लगभग 49,295 आवेदकों को 1,407 करोड़ रुपये शिक्षा ऋण हेतु स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से लगभग 30,840 आवेदकों को 663 करोड़ की राशि वितरित की गई ।

स्वीकृत आवेदकों का बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लि0 के द्वारा प्राथमिकतानुसार संबंधित संस्थान/छात्र के खाता में ऋण की राशि अंतरित की जा रही है ।

स्कूलों में आधारभूत संरचना

77. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 को प्रकाशित शीर्षक "रख-रखाव में लापरवाही से घट रहे स्कूलों के संसाधन" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी स्कूलों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम आर0टी0ई0 के शर्तों के मुताबिक आधारभूत संरचना को सुनिश्चित करना है, ताकि छात्रों का ड्रॉप आउट की संख्या में कमी लाया जा सके ;

(2) क्या यह बात सही है कि एकीकृत जिला सूचना प्रणाली की समीक्षा वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान यह पाया गया है कि राज्य के 2014 ब्यायेज विद्यालय में छात्र एवं 1,883 विद्यालय में छात्राओं के लिये शौचालय, 11,640 स्कूलों में बिजली तथा 33,601 विद्यालयों में चहारदीवारी नहीं हैं, जबकि 14,185 विद्यालय में रैम्प का अभाव है जिस कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में असुविधा होने के साथ ड्रॉप आउट भी बढ़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम के शर्तों के अनुरूप राज्य के स्कूलों में आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

रिमांड होमों की जाँच

78. श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है पटना सिटी के गायघाट सहित राज्य के सभी रिमांड होमों में आवासी महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार सभी रिमांड होमों की निष्पक्ष जाँच कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि गायघाट स्थित राजकीय उत्तर रक्षा गृह का मामला माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना के विचाराधीन है ।

संदर्भित मामले में महिला थाने में दो एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी है । माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मामले की जाँच हेतु सहायक पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पदाधिकारियों की टीम का गठन किया गया है, जो मामले की जाँच कर रही है ।

पटना :
दिनांक 15 मार्च, 2022 (ई0) ।

शैलेंद्र सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0, 113(एल0ए0), 2021-22-डी0टी0पी0-550